	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	भाद्र 12, गुरूवार, शाके 1942–सितम्बर 3, 2020 *Bhadra 12, Thursday, Saka 1942–September 3, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 27, 2020

संख्या प. 4(41)कृषि/ग्रुप-2/2019 :-राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना क्रमाकः एफ.10(67)कृषि-v/64 दिनाकः 26.02.1965 से मुख्य मंडी यार्ड नयी मंडी भरतपुर की घोषणा की गयी थी।

राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2 बी) के अधिसूचना क्रमाकः प.10(23)कृषि/ग्रुप-2/85-II दिनाकः 23.01.1991 के द्वारा गौण मण्डी यार्ड अटलबंद सब्जी मण्डी की घोषणा की गयी थी।

अब राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए अधिसूचना क्रमाकः प.10(23)कृषि/ग्रुप-2/85-II दिनाकः 23.01.1991 मे आंशिक संशोधन कर इस अधिसूचना से घोषित गौण मण्डी यार्ड अटलबंद फल सब्जी को मुख्य मण्डी यार्ड अटलबंद, भरतपुर एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.10(67)कृषि-v/64 दिनाकः 26.02.1965 मे आंशिक संशोधन कर इस अधिसूचना से घोषित मुख्य मंडी यार्ड, नयी मंडी भरतपुर को गौण मण्डी यार्ड नयी मण्डी भरतपुर घोषित किया जाता है। मुख्य मण्डी यार्ड, अटलबंद, एवं गौण मण्डी नयी मंडी भरतपुर को समस्त कृषि जिन्सो के क्रय-विक्रय के लिए अधिसूचित किया जाता है।

मुख्य मण्डी यार्ड अटलबंद की सीमाए अधिसूचना क्रमाकः प.10(23)कृषि/ग्रुप-2/85-II दिनाकः 23.01.1991 के अनुसार तथा गौण मण्डी यार्ड, नयी मण्डी स्टेशन रोड भरतपुर की सीमाए अधिसूचना क्रमांक एफ.10(67)कृषि-V/64 दिनाकः 26.02.1965 के अनुसार यथावत रहेंगी।

उपरोक्त सीमाओ के अंदर समस्त निर्मित भवन, दुकान एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग मे राजस्थान सरकार विज्ञप्त करती है कि इस मण्डी क्षेत्र मे घोषित मुख्य मण्डी यार्ड अटलबंद, भरतपुर एवं गौण मण्डी यार्ड, नयी मण्डी भरतपुर की सीमाओ से लेकर नगर परिषद भरतपुर की वर्तमान सीमाओ तक कोई स्थानीय अधिकारी किसी विधि के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और कोई अन्य व्यक्ति इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख पर या पश्चात उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के लिए विज्ञप्त किसी भी कृषि उपज के क्रय एवं विक्रय के लिए कोई स्थान नही जमायेगा, स्थापित करेगा या कायम रखे जाने की अनुमति नही देगा।

आगे राज्य सरकार घोषणा करती है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मुख्य मण्डी यार्ड, अटलबंद, भरतपुर एवं गौण मण्डी यार्ड, नयी मण्डी भरतपुर की सीमाओ को छोडकर नगर परिषद भरतपुर की वर्तमान सीमाओ का सम्पूर्ण क्षेत्र ''मार्केट प्रोपर'' होगा, जैसा कि राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड 10 के अन्तर्गत परिभाषित है।

राज्यपाल की आज्ञा से
लालचन्द गुर्जर,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।